90

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 942–तीन/2009 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2009– पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 1331/2007–08 अपील

रामाधार साहू पुत्र पियारे साहू
ग्राम दर्रहा तहसील त्योंथर जिला रीवा ——आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती चंद्रकली पत्नि स्व. महावीर साहू
2– भैयालाल 3– रामपाल 4– राजाराम
5– विजेन्द्रप्रसाद 6– प्रभूदयाल 7– हेमराज
सभी पुत्रगण स्व. महावीर साहू निवासीगण
ग्राम दर्रहा तहसील त्योंथर जिला रीवा ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 17-07- 2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1331/2007–08 अपील में पारित आदेश. दिनांक 6–7–2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार त्योंथर ने प्रकरण कमाक 15 अ 27/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 23–4–07 से उभय पक्ष की सामिलाती भूमियों का बटवारा किया। बटवारा आदेश दिनांक 23–4–07 पर से संहिता की धारा 32 का आवेदन आने पर नायव तहसीलदार ने

आदेश दिनांक 22-6-2007 पारित किया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुये आदेश दिनांक 23-4-07 निरस्त कर दिया। नायव तहसीलदार त्योंथर के प्रकरण क्रमाक 15 अ 27/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 22-6-2007 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 222/अ-27/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2008 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 22-6-07 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन क्रमांक 4922/04 में हुये निर्णय के आधार पर पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश दिनांक 14-8-2008 के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1331/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 से अपील निरस्त कर दी। की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 222/अ-27/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2008 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1331/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-09 में विवेचना की है कि माननीय उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये आदेशानुक्रम में प्रकरण में यथास्थिती यथावत् रहेगी। अनुविभागीय अधिकारी ने नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण जांच हेतु एंव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुक्रम में पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है और तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस पहुंचने पर दोनों पक्षों के पास अपना अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 222/अ-27/06-07

अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2008 में हस्तक्षेप नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के प्रकरण कमांक 222/अ-27/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-8-2008 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1331/2007-08 अपील में पारित आदेश. दिनांक 6-7-2009 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1331/2007-08 अपील में पारित आदेश. दिनांक 6-7-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर